पत्र सं0–................................/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

माननीय उपाध्यक्ष, कृपया अवलोकनार्थ / निदेशार्थ

816

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

सभी सचिव/प्रधान सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक–

विषयः– **कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना पर होनेवाले व्यय के संबंध में दिशा निर्देश ।**

महाशय,

निदेशानुसार अवगत हैं कि दिनांक 8–5–2012 को सम्पन्न बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की छठी बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत सभी विभागों/कार्यालयों के लिए 'कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना' तैयार की जाय एवं इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर योजना को अपडेट करना भी सुनिश्चित किया जाय । बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 'कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा राशि की उपलब्धता के संबंध में कतिपय पृच्छायें की जाती रही हैं । प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के आलोक में वित्त विभाग के परामर्श से राशि की उपलब्धता के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–

1– 'कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना' में यदि संरचनात्मक कार्यो का समावेश किया जाता है तो उन कार्यो का निष्पादन भवन निर्माण विभाग द्वारा अपनी मांग के अन्तर्गत 'अनुरक्षण एवं मरम्मत' उपशीर्ष में प्रावधानित राशि से कराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा भवनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु अलग से भी राशि का प्रावधान भवन निर्माण विभाग की मांग के अन्तर्गत किया जाता है । अतएव उक्त प्रावधानित राशि से भी इस मद में व्यय कि या जा सकता है ।

2– 'कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना' में समावेशित गैर–संरचनात्मक कार्यो का निष्पादन विभागों द्वारा 'कार्यालय मद' में अपने बजट में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है ।

3– क्षमता विकास कार्यो के संबंध में स्पष्ट करना है कि यदि 'कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना' किसी बाहरी व्यक्ति/एजेन्सी से तैयार करवायी जाय तो उक्त राशि का भुगतान 'व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ' विषयशीर्ष मद में प्रावधानित राशि से किया जा सकता है । इसी प्रकार यदि आपदा से सुरक्षा के संबंध में जन जागरूकता का कार्य अपेक्षित है तो इसे 'प्रकाशन एवं मुद्रण' विषयशीर्ष तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम 'प्रशिक्षण व्यय' शीर्ष से कराया जा सकता है । यदि 'कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना' के अन्तर्गत कार्यालयों में बालू की बाल्टी तथा अग्निशमन यंत्र आदि का प्रबंध किया जाना है तो इसका व्यय 'कार्यालय व्यय' शीर्ष और यदि 'कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना' अन्तर्गत मुद्रित एवं प्रकाशन सामग्रियों के माध्यम से सामान्य जनता एवं अन्य को आपदा सुरक्षा के मानकों के संबंध में

जानकारी देकर जागरूक बनाया जाना अपेक्षित हो तो इसका व्यय 'प्रकाशन एवं मुद्रण' शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित राशि से किया जा सकता है ।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में 'कार्यालय आपदा प्रबंधन योजना' के सूत्रण एवं कार्यान्वयन हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(अनिरूद्ध कुमार)

विशेष सचिव

ज्ञापांक– 2100 पटना, दिनांक– 4/6/15

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/6/15

विशेष सचिव